आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/138

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलासमलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)**

पीठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

**दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती**

**अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई**

**मुकदमा नम्बर :– 81/2021 (धीसाराम वगैरह बनाम सीताराम वगैरह)**

निर्णय दिनांक :–23.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.08.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम पाण्डासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 1.67 है0 में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा श्यामसुन्दर पुत्र मुलाराम के नाम से बना गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर श्यामलाल पुत्र फुलाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 23.08.2022 को जारी की गई।

23/8/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 81 / 2021

1. धीसाराम उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व. श्री श्यामलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. ग्यारसीदेवी आयु 55 वर्ष पत्नी स्व. श्री श्यामलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
3. प्रेम उम्र 35 वर्ष पुत्री स्व. श्री श्यामलाल जाति सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र फुलाराम जाति सैनी निवासी वार्ड न0 14 मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर जिला झुझुनू
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.08.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पाण्डासी पटवार हल्का ककड़ेऊ कलां की सरहद में खसरा नम्बर 289 रकबा 1.67 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें वादीगण के पिता का हिस्सा 1/2 था तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। भूमि के हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। वादीगण के पिता श्यामलाल की मृत्यू हो चुकी है श्यामलाल का राजस्व रिकार्ड में नाम भी गलत दर्ज कर रखा है तथा श्यामलाल के पिता का नाम भी मूलाराम गलत इन्द्राज कर रखा है। जबकि सही नाम फुलाराम है। वादीगण श्यामलाल के वारिसान है तथा श्यामलाल के हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी है। अंत में वादीगण को वाद में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे तथा श्यामसुन्दर का सही नाम श्यामलाल पुत्र फुलाराम है जिसे दुरूस्त किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश कर वाद वादी स्वीकार कर डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। जवाब देही पूर्ण होने के पश्चात वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में अपना स्वयं का शपथ पत्र (पीडब्ल्यू–1) पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 7 डाले।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

FORM NO. III

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का निवेदन किया तथा श्यामसुन्दर पुत्र मूलाराम के नाम से गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त कर श्यामलाल पुत्र फुलाराम सही करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

## निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पाण्डासी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 1.67 है0 में वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा श्यामसुन्दर पुत्र मुलाराम के नाम से बना गलत राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर श्यामलाल पुत्र फुलाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर